न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/57/2022

शिवराम सैनी पुत्र तुलाराम सैनी निवासी देहली गेट, कामां।

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कामां।

..............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 17.08.2022**

अपीलार्थी शिवराम सैनी पुत्र तुलाराम सैनी निवासी देहली गेट, कामां की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कामां के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2022 से लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कामां से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/22/452 दिनांक 18.07.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कामां से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कामां से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में अंकित किया है कि उसे लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कामां से कोई जबाव प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना से अवगत नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते है तथा अपीलार्थी सूचना निशुल्क पाने का हकदार भी है।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्तानुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कामां को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे, सूचना पर लगने वाला शुल्क सम्बन्धित दोषी कार्मिक से वसूल किया जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कामां को पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर